संख्या-351/2020/2515/22-2-2019-17(80)/2009

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 10 सितम्बर, 2020***

विषय:-केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नेवा उर्फ मेवा पुत्र श्री मोतीलाल, निवासी जनपद-ललितपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5/दयायाचिका बैठक 06-08-2019 दिनांक 06-09-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नेवा उर्फ मेवा पुत्र श्री मोतीलाल, बिरधा, थाना-तालबेहट हाल पता पूराकलां, जनपद-ललितपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा मुकदमेंबाजी को लेकर दिनांक 26.08.1986 को 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बल्लम, कुल्हाड़ी व लाठियों से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-09/1987 में भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 307, 302, 323 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, ललितपुर के आदेश दिनांक 31.05.1988 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.12.1988 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 28.07.2018 तक 29 वर्ष 03 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 56 वर्ष 11 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किये जाने की स्थिति में खुला घूमना उचित नहीं होने, पीड़ित पक्ष व बन्दी के परिवार के मध्य स्थिति सामान्य नहीं होने, जेल से बाहर आने पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर पुन: अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकने, परिवार की सामाजिक स्थिति आपराधिक मानसिकता की होने तथा आर्थिक स्थिति ठीक होने के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी नेवा उर्फ मेवा (बन्दी संख्या-16621) पुत्र श्री मोतीलाल, निवासी जनपद-ललितपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपर्युक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-351/2020/2515(1)/22-2-2019 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in